संख्या-23/2019(928/19)3/4/35-आ0-2/2018-19

प्रेषक,

राम केवल
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रेष्य,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या प्रभाग,
राज्य नियोजन संस्थान
लखनऊ।

राज्य योजना आयोग-2 लखनऊ:दिनांक: 22 अप्रैल: 2019

(नियोजन विभाग)

विषय: मण्डल/जिला स्तर पर नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि के व्यय हेतु बजट आबंटन।

महोदय,

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च 2019 में निर्गत शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये आय व्ययक के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि रू0 1966.35 (रूपये उन्नीस करोड़ छाछठ लाख पैंतीस हजार मात्र) को नियोजन विभाग की अनुदान संख्या 40 लेखाशीर्ष "3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें -101-योजना आयोग/योजना बोर्ड-04-मण्डल/जिला स्तर पर नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण" एवं लेखाशीर्ष-5475- अन्य सामान्य आार्थिक सेवाओं पर पूजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय -04-मण्डल/जिला स्तर पर नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण" (मतदेय / भारित) के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में निम्नलिखित विवरण के अनुसार आपके निर्वतन पर निम्न शर्तो के अधीन रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

04-मण्डल/जिला स्तर पर नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण

(धनराशि लाख रूपये में)

कोड संख्या	व्यय की मानक मदें	2019-2020 में कुल आय-व्ययक प्रावधान	वित्तीय वर्ष 2019-2020 में निदेशक अर्थ एवं संख्या प्रभाग के निर्वतन पर रखे जाने हेतु जारी धनराशि
1	2	3	4
	04-मण्डल/जिला स्तर पर नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण		
	राजस्व पक्ष		
01	वेतन	1450.00	1450.00
03	मंहगाई भत्ता	217.50	217.50
04	यात्रा भत्ता	7.60	7.60
05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.50	2.50
06	अन्य भत्ते	8.00	8.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

07	मानदेय	1.00	1.00
08	कार्यालय व्यय	4.80	4.80
09	विघुत देय	4.00	4.00
10	जलकर/जल प्रभार	0.50	0.50
11	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	6.70	6.70
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4.50	4.50
14	मोटर गाडि.यों का क्रय	-	-
15	गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	6.30	6.30
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2.30	2.30
45	अवकाश यात्रा व्यय	2.00	2.00
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1.60	1.60
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	4.50	4.50
49	चिकित्सा व्यय	5.00	5.00
51	वर्दी	0.25	0.25
52	पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	100.80	100.80
55	मकान किराया भत्ता	110.00	110.00
56	नगर प्रतिकर भत्ता	12.00	12.00
58	आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भूगतान	1.00	1.00
	योग:-	**1952.85**	**1952.85**
	पूजीगत पक्ष		
14	मोटर गाडियों का क्रय	13.50	13.50
	कुल योग राजस्व पूजीगत	**1966.35**	**1966.35**

(रूपये उन्नीस करोड़ छाछठ लाख पैतीस हजार मात्र)

उक्त धनराशि निम्ननिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय की जायेगी ।

1- विभिन्न अनुदानों के अर्न्तगत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवण्टन एवं आवण्टित/वितरित धनराशि के समक्ष व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1195/दस16/94 दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चितकिया जाय।

2- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

3- आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल व्यय/भुगतान की आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप दिनाक 22 मार्च 2019 में दिये गये निर्देशो/शर्तो का अनुपालन किया जायेगा ।

5- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिका आधार मिलान कार्यालय महालेखकार इलाहाबाद उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्य कराया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन अनुभाग-1 को प्रेषित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- उपर्युक्त राजस्व पक्ष का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्ष-3451- सचिवालय आार्थिक सेवायें-101-योजना आयोग/योजना बोर्ड-04-मण्डल/जिला स्तर पर नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण" के अन्र्तगत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा तथा पूजीगत पक्ष का व्यय लेखाशीर्ष-5475- अन्य सामान्य आार्थिक सेवाओं पर पूजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय -04-मण्डल/जिला स्तर पर नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण" के अन्र्तगत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा

9- यह आदेश वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च 2019 में दिये गये निर्देशानुसार जारी किये जा रहें है ।

राम केवल
विशेष सचिव ।

सख्या-23/2019(928/19) 3/4/35-आ0-2/2018 -19 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट), प्रथम उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2 महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3 महालेखाकार (लेखा एवं हकादारी) द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद ।
4 वरिष्ठ आडिट अधिकारी (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठा भवन 15 थार्नहिल रोड इलाहाबाद ।
5 मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ को वित्त आय व्यय अनुभाग 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च 2019 के संबंध में ।
6 अनुभाग अधिकारी लेखा नियोजन सचिव शाखा, नियोजन विभाग ।
7 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8 वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
9 आहरण वितरण अधिकारी राज्य योजना आयोग ।
10 नियोजन अनुभाग 1
11 गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

ऋषिकेश दूबे
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in